न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर
विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 20/2023(GCMS 2023/188)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ, पता 191 कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ जंक्शन राजस्थान, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

बनाम

1. **पूनम आहूजा** पत्नी ओम प्रकाश निवासी ग्राम 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)** एवं उपखण्ड अधिकारी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

15.07.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री सुभाष मिढ़ा उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगगानगर ने चक ग्राम 3 वाई के मुरब्बा नम्बर 04 की बीघा नं. 22 की अवाप्त भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों के सम्बन्ध में अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को अपने मन–मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विधि के प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ पारित किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि ग्राम 3 वाई के मुरब्बा नमबर 04 के बीघा नं. 22 में से अवाप्त की जाने वाली कृषि भूमि का अधिनियम, 1956 की धारा 3ए(1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में किया गया। धारा 3ए (3) के तहत उक्त अधिसूचना का आमजन को सूचित करने के लिये स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाकर 21 दिवस के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गयी। उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में जिन हितधारियों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी, उनका सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के बाद धारा 3सी के तहत नियमानुसार निस्तारण किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी(1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 07.09.2018 को भारज के राजपत्र में किया गया। धारा 3डी(2) के अनुसार अर्जन की घोषणा होने के बाद उक्त खसरान् की अवाप्त भूमि निर्बाध रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्र सरकार में निहित हो गयी।

उनका आगे यह भी कथन है कि अवाप्त भूमि पर स्थित फलदार पेड़ पौधों का मूल्यांकन करने के लिए सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने दिनांक 29.07.2021 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट में मुरब्बा नम्बर 04 के बीघा नं. 19 से 23/2 की अवाप्त भूमि पर स्थित फलदार पौधों की गणना व आयु निर्धारित की गई, जिनमें कमेटी ने कुल 16 प्रकृति के 52 अलग अलग फलदार पौधों की भविष्य की संभावित आयु के आधार पर मुआवजा राशि रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जो अनुचित एवं अवैध है तथा प्रार्थी भा.रा.रा.प्रा. को स्वीकार नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मुरब्बा नं. 4 के किला नं. 22 पर अप्रार्थी खातेदार द्वारा कोई एक ही किस्म के फलदार पौधों का बाग स्थापित न किया जाकर, विभिन्न 16 किस्म के दो–दो, चार–चार फलदार पौधे ही रोपित किये गये है, जो बागवानी की श्रेणी में नहीं आते है। ऐसे में सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा उपरोक्त प्रश्नगत पौधों की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जानी थी लेकिन फिर भी अप्रार्थी सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत पेड़ पौधों की मुआवजा राशि का निर्धारण अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि से कई गुणा निर्धारित कर उक्त आलोच्य अवार्ड पारित किया है, जो कि देखने मात्र से ही उचित प्रतीत नहीं होने के कारण संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर ने किन्नू के पौधों की कुल आयु 25 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है, जबकि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर ने प्रश्नगत किन्नू के पौधों की कुल आयु 30 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है जबकि हनुमानगढ व श्रीगंगानगर जिले की भौगोलिक स्थिति, वातावरण, कृषि पैदावार/उत्पादन एक समान होने के बावजूद भी श्रीगंगानगर में किन्नू के प्रश्नगत पौधों की आयु 30 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारण करना सरासर अनुचित व अवैध है।

उनका आगे यह भी कथन है कि कृषक अपनी भूमि में लगे फलदार पौधों की देखरेख करने, पौधों के खाद/दवाई/पानी, मजदूर लगाकर फलों को तोड़ने, पैकिंग करने, परिवहन आदि के संबंध में व्यय/राशि खर्च करता है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी खातेदार को खेत में लगे फलदार पौधों का भविष्य में संभावित व्यय को बिना घटाये सहायक निदेशक उद्यान ने अपने मनमुताबिक तरीके से संभावित शेष आयु को आधार बनाकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी, जो सरासर अनुचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि बाग में लगे समस्त पौधों में से कई पौधों की फल उत्पादन की क्षमता कम होती है तथा कई पौधों की फल ही नहीं देते तथा कई पौधे नष्ट हो जाते है, लेकिन सहायक निदेशक उद्यान ने बिना किसी जांच के अवाप्ति में आये बाग में लगे समस्त पौधों की फल देने की उत्पादन क्षमता एक समान मानते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी, जिसको आधार मानते हुए अप्रार्थी सक्षम अधिकारी ने उक्त आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया, जो कि अवैध होने के कारण संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त अवाप्त भूमि पर दर्शाये प्रश्नगत फलदार पौधों/वृक्षों के संबंध में सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को निरस्त कर प्रश्नगत प्रत्येक पौधों पर भविष्य में होने वाली संभावित लागत/खर्च एवं आयु को कम कर अवाप्ति के समय प्रश्नगत प्रत्येक पौधें की स्थिति, किस्म, वृद्धि, उत्पादन क्षमता व आयु के आधार पर संशोधित मध्यस्थ अवार्ड पारित कर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी), श्रीगंगानगर के ग्राम 3 वाई के मु.नं. 4 के बीघा नम्बर 22 की अवाप्त भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों के संबंध में अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को विधि के प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के अनुरूप पारित किया गया है, लेकिन इस अवार्ड में मुआवजा राशि बाग वाले लागत के आधार पर काफी कम पारित की गई है, जिसे बढाया जाना न्यायोचित होगा।

उनका आगे यह भी कथन है कि बागवानी के किसानों को उनके द्वारा अत्यधिक व्यय करके लगाये गये फलों वाले वृक्षों की मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक भूमि अत्यन्तिक रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्र सरकार में निहित नही हो सकती।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक, उद्यान श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित कमेटी में दिनांक 29.07.2021 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट मुरब्बा नम्बर 4 के किल्ला [illegible] की अवाप्ति भूमि पर स्थित फलदार पौधों की गणना व आयु निर्धारित की थी, वह काफी कम की गई थी, जिसकी सही गणना उम्र बाबत नहीं की गई यदि सही गणना होती तो निश्चित **रूप से उक्त पौधों** की कीमत ज्यादा होती तथा मुआवजा राशि बढ़ती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीया द्वारा बागवानी के लिए ही उक्त पौधे लगाये गये थे उक्त पौधों को लगाये जाने का उद्देश्य बागवानी ही था जो सहायक निदेशक, श्रीगंगानगर के द्वारा रिपोर्ट बागवानी मानकर तैयार की गई वह सही तैयार की गई थी परन्तु उनके द्वारा पौधों की आयु व कीमत कम अंकन की गई है यदि सही अंकन किया जाता तो प्रार्थीया की बागवानी की कीमत में और बढ़ोतरी होती।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के खेत के आगे 5 किलोमीटर आगे पंजाब राज्य है जहां पर यहां से चार गुणा डीएलसी रेट है तथा पौधों की कीमत भी दुगनी है। प्रार्थी के बागवानी से मात्र 5 किलोमीटर दूर पंजाब है वहां पर इससे चार गुना रेट है तथा उसी अनरूप गणना की जानी चाहिए थी, इसके लिए प्रार्थी ने अलग से वाद पत्र पेश किया हुआ है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 01 अतिशीघ्र बागवानी की राशि दिलवाये जाने की प्रार्थना की है और अप्राथी संख्या 01 अपने परिवार का भरण पोषण तथा जीवन यापन के लिए कोई साधन या विकल्प अपना सके। इस प्रार्थना पत्र को निरस्त करके पूर्व में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 22.04.2022 की मुआवजा राशि व इसके अलावा बागवानी कृषक की अत्यधिक लागत व बाजार मूल्यों को आधार मानकार व इसका मूल्यांकन करके पारित अवार्ड की मुआवजा राशि को बढ़ा कर दिये जाने की प्रार्थना की है।

मैनें. उभयपक्ष की बहस सुनी एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि नेशनल हाईवे द्वारा अप्रार्थी पूनम आहुजा की भूमि अवाप्त की गई। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना पैकेज–06 के 0.000 कि.मी. से 34.500 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर सैक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन को बनाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2023.08.07 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अवाप्त की गई, जिसमें अप्रार्थी पूनम आहुजा की भूमि ग्राम 3 वाई के मुरब्बा नम्बर 4 के बीघा नं. 22 अवाप्त की गई, जिसमें फलदार वृक्ष होना दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अवार्ड दिनांक 22.04.2022 से मुआवजा निर्धारण किया गया है। उक्त अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को राजष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा धारा 3जी(5) अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करके इस आधार पर चुनौती दी गई है। सहायक निदेशक, उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुसार पारित आवार्ड दिनांक 22.04.2022 को निरस्त कर, प्रत्येक पौधे पर भविष्य में होने वाली संभावित लागत/खर्च एवं आयु को कम कर, किन्नू के पौधे की स्थिति, किस्म, वृद्धि, उत्पादन क्षमता व आयु के आधार पर संशोधित अवार्ड जारी करने की प्रार्थना की है।

इस मामले में यह देखा जाना है कि क्या अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अवाप्ताधीन भूमि में स्थित परिसंपत्तियों का अवार्ड द्वारा जो मुआवजा राशि तय की गई है वह विधिसम्मत है अथवा नहीं?

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अवाप्तधीन भूमि में स्थित परिसंपत्तियों का अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को जारी किया है। उक्त अवार्ड दिनांक 22.04.2022, सहायक निदेशक उद्यान – श्रीगंगानगर की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी पूनम आहुजा की मुआवजा राशि 16,94,846/- निर्धारण किया है:

उक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थी को 100 प्रतिशत तोषण राशि भी दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

फलदार के पौधों की उम्र के सम्बन्ध में उप निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट चाहे जाने पर, उप निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 21.12.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रेषित की है:

> उपरोक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत निवेदन है कि भारतमाला परियोजना पैकेज–6 (पार्ट–1) श्रीगंगानगर (एन.एच.62) साधुवाली–जैड माईनर–श्रीकरणपुर–गजसिंहपुर–रायसिंहनगर के दो/चार लेन कार्य के अन्तर्गत अवाप्त भूमि पर अवस्थित संरचनाओं को अवार्ड जारी किये गये, जिनमें से हितबद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने वाली श्रीमती पूनम आहूजा पत्नी श्री ओम प्रकाश चक 3 वाई, के मुरब्बा नम्बर 4 बीघा नं. 22 का मौका निरीक्षण गठित कमेटी द्वारा दिनांक 29.07.2021 को किया गया था जिसके मुरब्बा नं. 4 किला नं. 19, 20, 21, 22,23/2 की जमीन भारतमाला अन्तर्गत आ रही है, जिसमें से मुरब्बा नम्बर 4 के बीघा नं. 22 में फलदार वृक्ष लगे हुये थे, जिसकी रिपोर्ट इस कार्यालय द्वारा पूर्व में भिजवायी जा चुकी है। पुनः उक्त रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।
>
> संलग्न : उपरोक्तानुसार।

सहायक निदेशक उद्यान–श्रीगंगानगर की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अवार्ड जारी किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ के [illegible] ने किन्नू के पौधों की उम्र के सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोई कानून/प्रपत्र/नियम/आदेश पेश नहीं किये है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा किन्नू के पौधें की औसत आयु आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested

ह०–लु
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

के सम्बन्ध में कोई में हस्तक्षेप किया जा सके। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अवाप्ताधीन भूमि में स्थित परिसंपत्तियों का अवार्ड दिनांक 22.04.2022 पूनम आहुजा की हद तक पुष्ट किया जाता है

अतः उक्त विवेचन अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अन्य कोई आवेदन पत्र लम्बित हो तो वह भी खारिज किया जाता है। इस आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested